राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–पं.( )/निपेवि/लेखा/बजट/2021–22/1412-5 दिनांकः– 24/01/2022

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी

विषयः– मदशीर्ष 2071–01–115–01–01 सेवानिवृति पर छुट्टी नकदीकरण हित के बजट बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ–75)/DTA/IFMS/3666-4165 दिनांक 13.09.2019 के बिन्दु संख्या 7 व 8 के अनुसार सेवानिवृत कार्मिक के पीपीओ का जनरेशन IFPMS पर होने के उपरान्त संबंधित कार्यालय की आई.डी. में सेवानिवृति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु आवश्यक बजट IFMS मॉड्यूल पर आवंटित किया जाता है। तत्पश्चात् कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार सेवानिवृति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान पीपीओ नं. Fetch कर एवं बिल में उपयोग कर बिल भुगतान हेतु संबंधित कोषालय को प्रेषित किये जाते हैं। पेंशन विभाग द्वारा जारी बजट आवंटन का अवलोकन करने पर पाया गया कि कई आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा बिलों का आहरण नहीं किया जा रहा है, जिससे उनके पास राशि अवशेष है।

अतः सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से अनुरोध है कि सेवानिवृत कर्मचारियों के बिलों का शीघ्र भुगतान करावें अन्यथा राशि प्रत्याहरित कर ली जावेगी। सेवानिवृत कर्मचारियों के बिलों का भुगतान करने के पश्चात् भी आपके पास राशि शेष रहती है, तो निदेशालय पेंशन विभाग की आई.डी. 904 पर समर्पित करने की कार्यवाही करें।

भवदीय

अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)

22/01/27 13:30

D:\PENSION DEPPT\devendra kumar avasthi\makkhan ji.docx